न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 89/2022

महावीर पुत्र ईमरता, जाति जाट, निवासी नाटास, तहसील गुढा गोड़जी, जिला झुंझुनू।

—अपीलांट

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी, तहसील गुढा गौड़जी, जिला झुंझुनू।

—रेस्पोडेंटस

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार गुढा—गौड़जी
उनवानी सरकार बनाम महावीर अं0 धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 53/2022 निर्णय दिनांक 04.07.2022

उपस्थितिः—

1 .श्री विनोद गिल, एडवोकेट ——————————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक ———————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 31.03.2023

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 04.07.2022 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम महावीर मु0 नं0 53/2022 अ. धारा 91 एल. आर. एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार नायब तहसीलदार गुढा—गौड़जी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि— अदालत मातहत ने अपीलार्थी के खिलाफ दिनांक 04.07.2022 को गलत निर्णय पारित किया है। भूमि खसरा नंबर 403 पर अपीलार्थी ने कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है। अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 333 व खसरा नंबर 403 की सीमा मिलती है। अपीलार्थी अपनी खातेदारी की भूमि में आबाद है, इस तथ्य को अदालत मातहत ने गौर नहीं किया। पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 26.02.2018 को निर्णय पारित किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की कि राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर खसरा नंबर 403 व 333 का सीमा ज्ञान करवाया जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अदालत मातहत ने अपीलीय न्यायालय के निर्देश की पालना नहीं की है। खसरा नंबर 403 व 333 की सीमाज्ञान नहीं करवाई है। सीमाज्ञान करवाये बिना अदालत मातहत ने अपीलार्थी के विरूद्ध गलत आदेश पारित किया है। यह तथ्य भी पूर्व में आया था कि खसरा नं. 403 के गत खसरा नंबर 87 हैं जिसमें से सन 1975 में आबादी हेतु भूमि अलॉट की गई थी, उसका भी सीमाज्ञान नहीं करवाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gaur
Date: 2023.08.04 12:03:38 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

है। अपीलार्थी का प्रकरण अतिक्रमण की तारीफ में नहीं आता। अदालत मातहत ने भी यह माना है कि सम्पूर्ण मकान अतिक्रमण में नहीं है। मकान का छोटा सा हिस्सा जहां लेट्रिन बाथरूम बने हैं, उसको अदालत मातहत ने अतिक्रमण माना है जो मात्र सीमाज्ञान का विवाद है,इसलिये अदालत मातहत का आदेश काबिले निरस्त है। अंत में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2022 को निरस्त किया जावे व पत्रावली अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जावे कि खसरा नंबर 403 व 333 की सीमाज्ञान करवाकर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– भूमि खसरा नंबर 403 पर अपीलार्थी ने कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है। अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 333 व खसरा नंबर 403 की सीमा मिलती है। अपीलार्थी अपनी खातेदारी की भूमि में आबाद है, इस तथ्य को अदालत मातहत ने गौर नहीं किया। पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 26.02.2018 को निर्णय पारित किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की कि राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर खसरा नंबर 403 व 333 का सीमा ज्ञान करवाया जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अदालत मातहत ने अपीलीय न्यायालय के निर्देश की पालना नहीं की है। खसरा नंबर 403 व 333 की सीमाज्ञान नहीं करवाई है। सीमाज्ञान करवाये बिना अदालत मातहत ने अपीलार्थी के विरूद्ध गलत आदेश पारित किया है। यह तथ्य भी पूर्व में आया था कि खसरा नंबर 403 के गत खसरा नंबर 87 हैं जिसमें से सन 1975 में आबादी हेतु भूमि अलाट की गई थी, उसका भी सीमाज्ञान नहीं करवाया है। अपीलार्थी का प्रकरण अतिक्रमण की तारीफ में नहीं आता। अदालत मातहत ने भी यह माना है कि सम्पूर्ण मकान अतिक्रमण में नहीं है। मकान का छोटा सा हिस्सा जहां लेट्रिन बाथरूम बने हैं,उसको अदालत मातहत ने अतिक्रमण माना है जो मात्र सीमाज्ञान का विवाद है,इसलिये अदालत मातहत का आदेश काबिले निरस्त है। अंत में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत नायब तहसीलदार गुढा गोड़जी द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2022 को निरस्त किया जावे व पत्रावली अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जावे कि खसरा नंबर 403 व 333 की सीमाज्ञान करवाकर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलाट्स द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा–गौड़जी द्वारा विधिक प्रकिया के अनुसार [illegible] समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय पारित किया गया है। पारित [illegible] विधिक त्रुटि नहीं है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:03:38 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बूंदी

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि भूमि खसरा नंबर 403 पर अपीलार्थी ने कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है। अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 333 व खसरा नंबर 403 की सीमा मिलती है। अपीलार्थी अपनी खातेदारी की भूमि में आबाद है, न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 26.02.2018 को निर्णय पारित किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की कि राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर खसरा नंबर 403 व 333 का सीमा ज्ञान करवाया जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें, लेकिन अदालत महतहत ने हाजा न्यायालय के निर्देशों की पालना में खसरा नंबर 403 व 333 का सीमाज्ञान नहीं करवाया ना ही तहसीलदार द्वारा मौका देखा गया, केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.07.2022 उनवानी सरकार बनाम महावीर मु0नं0 53/2022 धारा 91 एल.आर.एक्ट निरस्त किया जाता है। प्रकरण नायब तहसीलदार गुढा–गौड़जी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि कि विवादित भूमि का वे स्वयं मौका निरीक्षण करें तथा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये खसरा नंबर 403 व 333 का राजस्व टीम का गठन किया जाकर सीमाज्ञान करवाये जाने के उपरांतें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात की पूर्ण विवेचना करते हुये विधिक प्रकिया के अंतर्गत गुणावगुण के आधार पर पुनः विधिसम्मत कार्यवाही करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:03:38 IST
Reason: SelfAttested